633846/2023/TECH - KKU - NR

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.4(3)उद्योग/1/2017 **जयपुर, दिनांक** 06 SEP 2023

जिला कलक्टर,
जयपुर, राजस्थान।

विषयः– जयपुर जिले के ग्राम सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, कंदेवली एवं शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा में कन्टेनर कॉरपोशेन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु कुल 116.3876 हैक्टेयर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के ग्राम सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, कंदेवली एवं शार्दुलपुरा में कन्टेनर कॉरपोशेन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु कुल 116.3876 हैक्टेयर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के क्रम में अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) एवं नियम, 2016 के नियम 10 के तहत् गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 28.08.2023 को आयोजित की गयी। बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा नियम 11 के तहत् की गयी अभिशंषा सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि नियम 12 के तहत् उक्त अधिसूचना को जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबन्धक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (कॉनकोर), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी अभिशंषा को कॉनकोर की वेबसाइट पर अपलोड करवाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी एवं प्रचार–प्रसार करवाया जाये।

संयुक्त शासन सचिव

633846/2023/TECH - KKU - NR

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 10 के तहत् गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट

ग्राम सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, कंदेवली एवं शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में कन्टेनर कॉरपोशेन ऑफ इण्डिया लि० (कॉनकोर) द्वारा प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु कुल 116.3876 हैक्टेयर भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु प्रोफेसर अल्पना कटेजा, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) एवं अंतिम सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) का मूल्याकंन कर अनुशंषा प्रस्तुत किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 10 के प्रावधानानुसार आदेश दिनांक 13.07.2023 द्वारा गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 28.08.2023 को सायं 04:30 बजे रीको मीटिंग हॉल, उद्योग भवन, जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रोफेसर रश्मि जैन, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (सामाजिक वैज्ञानिक)
2. डॉ. आर.एल. सैनी, सोशल साइंटिस्ट, 14, कृष्णा नगर IV, इमली फाटक, जयपुर (सामाजिक वैज्ञानिक)
3. डॉ. कमल नारायण जोशी, रिटायर्ड प्रोफेसर, इंस्टिट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज, 84/32, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ)
4. श्री जी.एन. शर्मा, 212ए, गायत्री नगर बी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ)
5. श्री चंदा लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान
6. श्री मुकेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम श्योसिंहपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान
7. श्री नगेन्द्र कुमार, ग्रुप जनरल मैनेजर (Engg.), कॉनकोर, इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, कनकपुरा, जयपुर

उक्त के अतिरिक्त एसआईए अध्ययन कार्य हेतु चयनित प्रोफेसर अल्पना कटेजा, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर भी बैठक में उपस्थित रहीं। बैठक में बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Study Report) एवं अंतिम सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) पर गहन विचार–विमर्श किया गया। बैठक में हुए विचार–विमर्श अनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णित किया गया:–

1. प्रश्नगत अवाप्ति 116.3876 हैक्टेयर की प्रस्तावित की गई है, जो न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप है।
2. प्रश्नगत अवाप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, इससे कम को विस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

633846/2023/TECH - KKU - NR

3. प्रस्तावित भूमि अवाप्ति सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं लोकहित में है।
4. सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भविष्य में होने वाले सम्भाव्य फायदे बहुत अधिक हैं।

अतः उक्त आधार पर बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रश्नगत भूमि को अवाप्त किये जाने हेतु अनुशंषा की जाती है।

28/8/23
(प्रोफेसर रश्मि जैन)
सामाजिक वैज्ञानिक

28.8.23
(डॉ. आर.एल. सैनी)
सामाजिक वैज्ञानिक

28-8-23
(डॉ. कमल नारायण जोशी)
पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ

28/8/2023
(जी.एन. शर्मा)
पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ

(चंदा लाल)
सरपंच, ग्राम पंचायत,
शार्दुलपुरा, तह. फलेरा,
जिला जयपुर

(मुकेश यादव)
सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम
श्योसिंहपुरा, तहसील
फुलेरा, जिला जयपुर

28.8.23.
(नगेन्द्र कुमार)
ग्रुप जनरल मैनेजर
(Engg.). कॉनकोर

(वीनू गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग